# निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 5/2023
दायरा दिनांकः–10.04.2023
निर्णय दिनांकः– 18.12.24

## उनवान

गुलशन बाई आयु 88 वर्ष पुत्री नसीर खां पत्नि स्व0 बाबू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम कोलुखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल मुकाम छीपाबडौद

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 18.12.24

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री चिरोंजीलाल भार्गव – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल अमीनपुरा पटवार हल्का क्षेत्र मूंडक्या तहसील छबड़ा में प्रार्थीया तथा प्रार्थीया के अन्य सहभागी खातेदारान भाई बहिन कमशः नजीर, मजीद, रसीद पुत्र नसीर खां एवं बहिन सुल्तान की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 31 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 118 रकबा 02 बिस्वा कुल किता दो रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/5 भाग है। वर्षों पूर्व जब पिता नसीर खां के स्थान पर नाम दर्ज किया गया। प्रार्थीया का नाम गुलशनबाई के स्थान पर गुल्लो दर्ज कर दिया गया। तत्कालीन अधिकारियों के द्वारा समुचित जांच के अभाव में ग्रामवासियों के द्वारा बताए गए नाम कोदर्ज कर दिया गया। परिजनों से कोई पूछताछ नहीं कर नाम दर्ज किया गया है। प्रार्थीया का आधार कार्ड (नं० 273490755503), जनआधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि सभी दस्तावेज गुलशनबाई के नाम से ही बने हुए हैं. इस कारण प्रार्थीया राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता, फसल बीमा राशि, मुआवजा राशि, बैंक आदि से ऋण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना आदि से वंचित होना पड़ रहा है। बैंक में खाता भी नहीं खुलवा पा रहा है। प्रार्थीया उन्नत कृषि करने से खाद बीज लेने से भी वंचित हो रही है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम गुल्लो के स्थान पर गुलशनबाई दर्ज किए जाने के लिए विनयी है। जिससे प्रार्थीया केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली योजनाओं से वंचित नहीं रहे तथा भविष्य में होने वाली विसंगतियों से भी बचा जा सके। उक्त चूक सदभावी तौर पर हुई है। जिसे सदभावनापूर्वक दुरूस्त कर गुलशनबाई किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 31 फोटो प्रति आधार कार्ड गुलशन बाई फोटो प्रति पहचान पत्र गुलशन बाई फोटो प्रति जन आधार कार्ड फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है जिसमें प्रार्थीया का 1/5 हिस्स दर्ज है पिता नसीर खां के फोत होने के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थीया का नाम गुलशन बाई के स्थान पर गुल्लो दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों में गुलशन बाई नाम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गुल्लों दर्ज है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत होने के कारण प्रार्थीया को राज्य सरकार से मिलनें वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गुल्लों के स्थान पर गुलशन बाई दर्ज किया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम अमीनपुरा तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 31 में नजीर, मजीद, रसीद पुत्र नसीर खां गुल्लों, सुल्तान पुत्रिया नसीर खां कोम मुसलमान सा0देह कोलुखेडी के शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गुल्लों दर्ज है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजों में गुलशन बाई दर्ज है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीया के नाम के बारे में ग्राम कोलखेडी में ग्राम वासियों से जानकारी प्राप्त करने पर उन्होने नाम के बारे में असमर्थता जाहिर की प्रार्थीया के सगे भाई एवं सहखातेदार मजीद खां पुत्र नसीर खां निवासी छबडा से जानकारी प्राप्त की गई। भाई मजीद द्वारा बताया कि घर पर बोलता नाम गुल्लों है जबकि वास्तविक नाम गुलशनबाई है जिसकी शादी छीपाबडौद में की गई। जानकारी करने पर बताया कि गुल्लों व गुलशन बाई एक ही महिला के दो नाम है प्रार्थीया को जमाबन्दी में नाम अपेन पिता की मृत्यु के बाद विरासत से दर्ज हुआ है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट से एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का नाम गुलशन बाई है प्रार्थीया के फोती नामान्तरण खोलतें समय बोलतें नाम गुल्लो बाई दर्ज कर दिया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम गुल्लो के स्थान पर गुलशन बाई दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

**उपखण्ड अधिकारी**
**छबड़ा (बारां)**

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम अमीनपुरा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 31 रकबा 1.12 बीघा खसरा नम्बर 118 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 1.14 बीघा में प्रार्थीया का नाम गुल्लों के स्थान पर गुलशन बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा